THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI K. NATWAR SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) A Trade Agreement was signed between India and China in August 1984. Two Trade Protocols have also been entered into between the two Governments in November, 1985 and May, 1987, rspectively. Efforts continue to be made to tap the potential for increasing the volume of trade between the two countries.

रोजगार कार्यालयों द्वारा विधवाओं को रोजगार

@3687. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाने पर उसकी विधवा को रोजगार कार्यालय द्वारा रोजगार प्रदान कराने मे कोई प्राथमिकता नही दी जाती ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार की विधवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार प्रदान कराने का विचार रखती है जिससे कि उनके परिवार को जीविका प्रदान की जा सके ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इसे कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है , और यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बीरेन सिंह इंगती) : (क) जी हा । किन्तु अनुकम्पा के आधार पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में विद्यमान अनुदेशों के अन्तर्गत, ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसकी कार्य करते हुए मृत्यु हो जाती है उसकी विधवा के मामले पर समूह "घ" अथवा समूह "ग" के किसी पद पर, जिसके लिए वह अर्हता प्राप्त है, नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है बशर्ते कि उसका परिवार गरीबी हालत मे है तथा उसे तत्काल सहायता की आवश्यकता है । ये नियुक्तियां रोजगार कार्यालय प्रक्रिया मे छूट देकर की जाती है ।

(ख) से (घ) विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, युद्ध के दौरान मारे गए रक्षा सेवाओं तथा सीमा सुरक्षा बल दोनो ही के कार्मिकों के परिवार के दो-द सदस्यों तक, जिसमे विधवा भी शामिल होती है, रोजगार कार्यालयो द्वारा कुछ प्राथमिकता दी जाती है । इसी प्रकार की रियायत शांति के समय में मारे गए रक्षा सेवा कार्मिकों को भी दी जाती है बशर्ते कि सैनिक की मृत्यु सैन्य सेवा के कारण हुई हो । अन्य किन्ही मामलों मे विधवाओं को रोजगार के लिए प्राथमिकता देने का कोई प्रस्ताव नही है ।

@Previously Unstarred Question 3191 transferred from the 8th December, 1987.

Implementation of fourth Pay Commission's recommendations regarding pensionary benefits

†3687B. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the recommendations of the Fourth Pay Commission regarding revised pensonary benefits have not yet been implemented by the Ministry of Surface Transport; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI BIREN SINGH ENGTI): (a) and (b) The recommendations of the Fourth Central Pay Commission are applicable only to the Central Government employees. The orders issued by the Department of Pensions and Pensioners' Welfare implementing Government's decisions on its recommendations over all civilian Central Government employees including those under the Ministry of Surface Transport.

†Previously Unstarred Question 3410 transferred from the 9th December, 1987.